कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा अपनी सीमान्तर्गत या भविष्य मे विस्तार होने वाली सीमा मे नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (2) (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत अश्लील एंव आपत्ति जनक विज्ञापनों एंव पोस्टरों आदि के प्रर्दशन पर नियत्रंण रखने हेतू विज्ञापन शुल्क उपनियम निम्नानुसार तैयार किया गया है। जिनका प्रकाशन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत जनसामान्य अथवा जिन पर इसका प्रभाव पडने वाला है, से आपत्तियां एंव सुझाव आंमत्रित करने हेतू प्रकाशित की जा रही है। उक्त विज्ञापन के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/अन्य की किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति अथवा सुझाव हो तो वह इस उपनियम के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यदिवस मे अपनी लिखित शिकायत/आपत्ति/सुझाव कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार मे प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि के बाद प्रस्तुत शिकायत/आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

विज्ञापन शुल्क उपनियम 2015–16

1– यह उपनियम नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार अश्लील तथा आपत्तिजनक फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियत्रण नियमावली 2015–16 कहलायेगी।

2– इन नियमो मे विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट, पोस्टर, होर्डिग, साईनबोर्ड, दीवारों आदि पर पेन्ट से लिखे गये या चौक से बनाये गये/लिखे गये एंव एक कट आउट, चलचित्र पर, केविल द्वारा विज्ञापनों से है जो नगर पंचायत के क्षेत्र मे अन्तर्गत है।

3– इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढांचे से है जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया हो।

4– कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर इमारत के किसी भाग पर या ढांचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर, बैनर या होर्डिग आदि बिना नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नही लगायेगा।

5– उपरोक्त उपनियम निम्नांकित पर लागू नही होगा।

(अ) ऐसा विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यो हेतू स्थानीय विकास योजनाओं हेतू शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतू लगाये जाये।

(ब) ऐसे विज्ञापन या साईन बोर्ड जो किसी स्थानीय व्यापारी/दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या निवास पर अपने व्यवसाय के सम्बन्ध मे लगाया गया हो।

(स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों मे निशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– किसी भी विज्ञापन हेतू अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन के लिपि लेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार कार्यालय मे देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की विषय–भाषा आदि की जॉच करने के पश्चात संस्तुति करेगें कि विज्ञापन मे किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा या किसी समुह /समाज की भावनाओं को ठेस पहुचानें वाली बाते या सामुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नही किया गया है। इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह जनहित मे यदि आवश्यक समझे तो अनुमति